



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2022  
(29 भाद्र, 1944 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) (केवल हिन्दी में)	5—7
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 75/ह०आ० 11/1994/धा० 209/2022, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 —हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022.	733—751
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

**भाग-II****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 20 सितम्बर, 2022

**संख्या लैज.29 / 2022.**— दि हरियाणा पंचायती राज (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2022, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 16 सितम्बर, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

**2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1****हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022**

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित करने के लिए

**अध्यादेश**

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. यह अध्यादेश हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में—
  - (क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 

“(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) के लिए पंच के वार्ड आरक्षित किए जाएंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) से सम्बन्धित कम से कम एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है, और ऐसा वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस ग्राम पंचायत में कुल वार्डों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या—** इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त सभा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”।

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(7) किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी, पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित होगा तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या**— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”।

1994 के  
हरियाणा  
अधिनियम 11  
की धारा 59 का  
संशोधन।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्य के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस खण्ड की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित पंचायत समिति के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या**— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उस खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”।

1994 के  
हरियाणा  
अधिनियम 11  
की धारा 120  
का संशोधन।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) प्रत्येक जिला परिषद में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्य के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित जिला परिषद् के उन वार्डों को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के आरक्षण हेतु प्रस्तावित जिला परिषद् के वार्डों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या को जोड़ने पर, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या—** इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”।

चण्डीगढ़:

दिनांक : 16 सितम्बर, 2022.

बंडारु दत्तात्रेय,  
राज्यपाल, हरियाणा।

.....  
बिमलेश तंवर,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।